संयुक्त प्रांत कृषि ऋण विनियमन अधिनियम, 1940*

[संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या 14, 1940]

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1948

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1976

द्वारा संशोधित

[संयुक्त प्रांत के महामहिम गवर्नर द्वारा भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 93 के अंतर्गत जारी दिनांक 3 नवंबर, 1939 की घोषणा द्वारा ग्रहण की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया।]

(21 दिसंबर, 1940 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त हुई और 28 दिसंबर, 1940 को संयुक्त प्रांत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई।)

कृषकों द्वारा अत्यधिक उधार लेने को रोकने के लिए एक अधिनियम

प्रस्तावना

चूँकि कृषकों द्वारा अत्यधिक उधार लेने को रोकना और इस प्रयोजन के लिए कृषि उपज और भूमि के विरुद्ध आदेशों के निष्पादन द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली राशि को सीमित करना तथा भूमि के स्वैच्छिक हस्तांतरण को प्रतिबंधित करना समीचीन है;

और चूँकि भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 93 के अधीन प्रख्यापित, 3 नवंबर, 1939 की उद्घोषणा द्वारा, संयुक्त प्रांत के गवर्नर ने प्रांतीय विधानमंडल में पूर्वोक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन निहित सभी शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली हैं;

और चूँकि उक्त उद्घोषणा को लागू रखने का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा किया गया है;

अतः, अब गवर्नर पूर्वोक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अधिनियम बनाने की कृपा करते हैं;

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

1—(1) इस अधिनियम को ''संयुक्त प्रांत कृषि ऋण विनियमन अधिनियम, 1940'' कहा जा सकेगा।

(2) यह देहरादून जिले के जौनसार बावर परगना और कैमूर पर्वतमाला के दक्षिण में मिर्जापुर जिले के भाग को छोड़कर संपूर्ण संयुक्त प्रांत पर लागू होगा।

(3) यह उस तिथि को प्रवृत्त होगा जिसे राज्यपाल राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

व्याख्या

2—इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो,

---

* संयुक्त प्रात राजपत्र 1940 के भाग–1 पृष्ठ सं0 822 में प्रकाशित अधिसूचना सं0 158(1)/I–39 दिनांक 23 दिसम्बर, 1940 के द्वारा यह अधिनियम 1 जनवरी, 1941 को प्रवृत्त हुआ।

(1) [1][xxx]

कृषि उपज, यू0पी0 17, 1939

(2) "कृषि उपज" का अर्थ है किसी कृषक द्वारा, उसके द्वारा या उसके सेवकों द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त श्रम द्वारा उगाई गई कृषि उपज और इसमें खड़ी या इकट्ठी की गई फसलें, और पेड़ों और पौधों के फल और फूल शामिल हैं।

(3) [1][xxx]

(4) [1][xxx]

(5) [1][xxx]

ऋण

(6) 'ऋण' का अर्थ है नकद या वस्तु के रूप में, 1 जून, 1940 को या उसके बाद दिया गया अग्रिम, और इसमें ऐसा कोई भी लेन–देन शामिल है जो मूलतः ऋण है, लेकिन इसमें केंद्र या किसी प्रांतीय सरकार, या प्रांतीय सरकार द्वारा ऋण देने के लिए अधिकृत किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी सहकारी समिति द्वारा दिया गया अग्रिम शामिल नहीं है;

(7) [1][xxx]

(8) [1][xxx]

(9) [1][xxx]

(10) [1][xxx]

(11) [1][xxx]

(12) [1][xxx]

(13) [1][xxx]

3— [1][xxx]

अध्याय II

संरक्षित भूमि

4— [1][xxx]

5— [1][xxx]

6— [1][xxx]

7— [1][xxx]

अध्याय III

डिक्री का निष्पादन

8—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऋण या ऋणों पर आधारित किसी डिक्री या डिक्री के निष्पादन में, किसी निर्णीत–ऋणी की कृषि उपज के एक तिहाई से अधिक भाग की कुर्की नहीं की जा सकेगी।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 8 का संशोधन

9—किसी निर्णीत ऋणी की कृषि उपज पर ऋण के आधार पर डिक्री के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 48 में शब्द ''छह'', जहाँ कहीं भी आता है, शब्द ''बारह'' के स्थान पर प्रतिस्थापित समझा जाएगा।

10— [1][xxx]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 29, 1976 की धारा 30 द्वारा लोपित।

11— [1][xxx]

अध्याय IV

संरक्षित भूमि का स्वैच्छिक हस्तांतरण

12— [1][xxx]

13— [1][xxx]

14— [1][xxx]

11— [1][xxx]

15— [1][xxx]

16— [1][xxx]

17— [1][xxx]

18— [1][xxx]

19— [1][xxx]

20— [1][xxx]

21— [1][xxx]

22— [1][xxx]

23— [1][xxx]

24— [1][xxx]

25— [1][xxx]

26— [1][xxx]

अध्याय V

27— [1][xxx]

28— [1][xxx]

29— [1][xxx]

30— [1][xxx]

31— [1][xxx]

32— [1][xxx]

33— [1][xxx]

34— [1][xxx]

35— [1][xxx]

नोट :— हिन्दी अनुवादित प्रति।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1976 की धारा 30 द्वारा लोपित।